

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंगरपुर (राज.)

(पीठारीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 59/2025
जीसीएमएस नं. 2025/72

दाख दिनांक 27.03.2025
कैबल दिनांक 02.07.2025

राज्य सरकार जारिसे श्री छर्पिल कोडिया, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसाद कार्यालय,
झुंगरपुर जिला झुंगरपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुरेश कटारा, निवासी-माथुमागडा छाल कृष्णा भोजनालय, खुशालमगरी, झुंगरपुर
2. श्री लोकेन्द्रसिंह चौहान, प्रतिष्ठान मालिक, कृष्णा भोजनालय, खुशालमगरी, झुंगरपुर

विपक्षी


उपरिथत :-

1. प्रार्थी की ओर से - विभागीय पेशेकार
2. विपक्षीगण की ओर से - श्री लोकेन्द्रसिंह, प्रतिष्ठान मालिक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए(1)(2), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

:- निर्णय :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि, प्रमुख शारान सचिव महोदय एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय राजस्थान सरकार द्वारा "कञ्जूर केयर" अभियान की निरन्तरता में दिनांक 07.02.2025 को जिले में विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जिला रसाद कार्यालय के श्री विपीन कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, बहमराह श्री छर्पिल कोडिया, श्री हिमांशु डामोर की संयुक्त टीम के साथ विपक्षी के प्रतिष्ठान कृष्णा भोजनालय, खुशालमगरी, झुंगरपुर का आकस्मिक निरीक्षण करने पर विपक्षी के प्रतिष्ठान पर 2 घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 4.3 कि.ग्रा. गैस का उपयोग करते हुए पाया गया। जो घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग एवं एलपीजी गैस कंट्रोल आर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 की अवहेलना करना पाया जाने से संग्रहित 2 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 4.3 कि.ग्रा. गैस, गैसर्स शिवांग एचपी गैस सर्विस, झुंगरपुर के मेनेजर श्री सुरेश वेरागी को बुलवाकर रुबरु मौतविरान एवं उपरिथत के समक्ष सिलेण्डर्स के एसआर नंबर, ग्रास वेट, टैयर वेट एवं गैस सिलेण्डर में संग्रहित गैस का वेईंग मशीन से तौल करवाकर फर्द तल पट्टी अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगी तैयार की गई एवं 2 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 4.3 कि.ग्रा. गैस, जल कर गैसर्स शिवांग एचपी गैस सर्विस, झुंगरपुर के मेनेजर श्री सुरेश वेरागी को रुबरु मौतविरान सुपुर्दगी में दिये जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-6 ए (1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए धारा-6ए(2) के तहत राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।


जिला कलक्टर,
झुंगरपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सुनवाई हेतु विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी परोकार द्वारा प्रतिष्ठान के मालिक श्री लोकेन्द्रसिंह को बतौर पक्षकार के रूप में नाम दर्ज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। श्री लोकेन्द्रसिंह को पक्षकार के रूप में नाम दर्ज किया गया। विपक्षी श्री लोकेन्द्रसिंह, ने जवाब पेश किया कि श्री सुरेश कटारा मेरे प्रतिष्ठान कृष्णा भोजनालय पर मजदुरी करता था। जों वर्तमान में काम छोडकर चला गया है, तथा मेरे घर में प्रयोग किये जाने वाले सिलेन्डर के खत्म हो जाने पर उसे भरवाने हेतु उक्त खाली सिलेण्डर होटल/प्रतिष्ठान पर रखा गया था। मेरे द्वारा किसी प्रकार का उक्त सिलेण्डर का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। मेरी कोई गलती नहीं रही है। अतः विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप करना फरमावे।

प्रकरण में बहस समायत की गई। प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए जब्त शुदा गैस सिलेण्डर को, राजसात करने हेतु निवेदन किया ।

विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए गैस सिलेण्डर का दूरुपयोग नहीं किया जाने एवं कार्यवाही ड्रॉप करने संबंधि निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में किये गये कथन व तथ्य मानने योग्य नहीं हैं। अतएव इनका जवाब अमान्य किया जाता है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी के प्रतिष्ठान की जांच में 2 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 4.3 कि.ग्रा. गैस का उपयोग करते हुए पाया गया। विपक्षी का उक्त कृत्य एलपीजी गैस कंट्रोल आर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 अवहैलना होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी के प्रतिष्ठान कृष्णा भोजनालय, खुशालमगरी, डूंगरपुर पर संग्रहित 2 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 4.3 कि.ग्रा. गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-6ए(2) के तहत राजसात किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त 2 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 4.3 कि.ग्रा. गैस का नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

